



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना हल्दौर

दिनांक 11.11.2024

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा 02 शातिर चोरो को चोरी के सामान सहित किया गिरफ्तार व साथी बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 23.09.2024 को वादी श्री जसवन्त सिंह पुत्र परवीन सिंह निवासी ग्राम फडियापुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि दिनांक 22.09.2024 अज्ञात चोरो द्वारा वादी व वादी के पडोसियों की ट्यूबवैलो के स्टार्टर व तांबे के कलपुर्जे चोरी किये गये है। इस संबंध में वादी की तहरीर पर थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 276/24 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



दिनांक 27.09.2024 को वादी श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 तेजपाल सिंह निवासी ग्राम त्रिलोकपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि दिनांक 26.09.2024 को अज्ञात चोरो द्वारा वादी व वादी के पडोसियों की ट्यूबवैलो के स्टार्टर व तांबे के उपकरण चोरी किये गये है । इस संबंध में वादी की तहरीर पर थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 279/24 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

दिनांक 10.11.2024 को वादी श्री अंकुल कुमार पुत्र स्व0 धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम नांगल जट हल्दौर जनपद ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि दिनांक 10.11.2024 को अज्ञात चोरो द्वारा वादी व वादी के पडोसियों की ट्यूबवैलो के स्टार्टर, नाल आदी चोरी किये गये है। इस संबंध में वादी की तहरीर पर थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 315/24 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा उपरोक्त घटनाओं के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त 1- मौ0 शोएब पुत्र मौ0 ताहिर निवासी मौ0 छिपिग्राम कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर 2- मौ0 सुहैल उर्फ गाजी पुत्र तकी अब्बास निवासी ग्राम बिलाई थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया तथा एक साथी बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया । अभियुक्तगणों के कब्जे से उपरोक्त अभियोगो से संबंधित 14 स्टार्टर, 01 ऑटो स्विच ऑपरेटर, 08 काले लाल नीले रंग के केबिल, 02 लोहे के पाईप, 02 लोहे के बैंड, 01 लोहे का दरवाजा व 01 हाफ मोटरसाइकिल जुगाडनुमा ट्राली बरामद की गयी । अभियोगो में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी ।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्तगणों ने पूछताछ पर बताया कि हम तीनों मिलकर रात्रि में जगह-जगह जंगल में बनी ट्यूबवैलों से तार, स्टार्टर, लोहे के पाईप चोरी करके झालू रेलवे हाल्ट के पास बने रेलवे के पुराने खण्डर मे छिपा देते थे और मौका मिलने पर चोरी छिपे सामान को कबाडियों को बेच देते है । हमसे मिला सामान हमने परसो रात्रि में नागल जट

गाँव के जंगल से ट्यूबवैल से चोरी किया था तथा कुछ सामान करीब डेढ माह पूर्व ग्राम फडियापुर तथा ग्राम त्रिलोकपुर के जंगल में बनी अलग - अलग ट्यूबवैलो से चोरी किया था ।

उपरोक्त घटनाओं के संबंध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 276/24, मु0अ0सं0 279/24 व मु0अ0सं0 315/24 पंजीकृत है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. मौ0 शोएब पुत्र मौ0 ताहिर निवासी मौ0 छिपिग्राम कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
2. मौ0 सुहैल उर्फ गाजी पुत्र तकी अब्बास निवासी ग्राम बिलाई थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
3. एक बाल अपचारी

बरामदगी विवरण

1. 14 अदद स्टार्टर
2. 01 अदद ऑटो स्विच ऑपरेटर
3. 08 अदद काले लाल नीले रंग के केबिल
4. 02 अदद लोहे के पाईप
5. 02 अदद लोहे बैंड
6. एक अदद लोहे का दरवाजा
7. एक अदद हाफ मोटरसाइकिल जुगाडनुमा ट्राली

अपराधिक इतिहास अभियुक्त मौ0 शोएब उपरोक्त

- 1) मु0अ0सं0- 276/24 धारा-305ए/317(2) बीएनएस थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
- 2) मु0अ0सं0- 279/24 धारा-305ए/317(2) बीएनएस थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
- 3) मु0अ0सं0-315/24 धारा-305ए/317(2) बीएनएस थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त मौ0 सुहैल उर्फ गाजी उपरोक्त

- 1) मु0अ0सं0- 276/24 धारा-305ए/317(2) बीएनएस थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
- 2) मु0अ0सं0- 279/24 धारा-305ए/317(2) बीएनएस थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
- 3) मु0अ0सं0-315/24 धारा-305ए/317(2) बीएनएस थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।

अपराधिक इतिहास बाल अपचारी

- 1) मु0अ0सं0- 276/24 धारा-305ए/317(2) बीएनएस थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
- 2) मु0अ0सं0- 279/24 धारा-305ए/317(2) बीएनएस थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
- 3) मु0अ0सं0-315/24 धारा-305ए/317(2) बीएनएस थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1) उ0नि0 अनिल कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
- 2) उ0नि0 सुभाष कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
- 3) का0 विशाल कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
- 4) का0 शुभम राठी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
- 5) का0 राजीव कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।



प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 11.11.2024

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में थाना नूरपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि दिनांक 22.07.2022 को वादी ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त भान सिंह पुत्र चतरभुज निवासी ग्राम ढवार महोबकंठ जनपद महोबा वादी की पुत्री को बहलाफुसलाकर ले गया, जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 344/22 धारा 366 भादवि पजीकृत कराया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 363/376 भादवि व धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी तथा विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 11.11.2024 को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 344/22 उपरोक्त में अभियुक्त भान सिंह पुत्र चतरभुज निवासी ग्राम ढवार थाना महोबकंठ जनपद महोबा को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विकशन” के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

1- भान सिंह पुत्र चतरभुज निवासी ग्राम ढवार थाना महोबकंठ जनपद महोबा



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट-थाना मण्डावर

दिनांक 11.11.2024

थाना मण्डावर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 290 / 24 धारा 305(1) / 331(4) बीएनएस में
वांछित 02 अभियुक्तों को चोरी किये सामान सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.11.2024 को वादी श्री अफजाल अहमद पुत्र अकीमुद्दीन निवासी ईनामपुरा थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ने तहरीर दी कि अभियुक्त साजन पुत्र लाखन ने अपने साथी के साथ मिलकर वादी के घर का ताला तोड़कर घर से एक पाजेब, एक अंगूठी व कपडे आदि चोरी कर लिये गये। तहरीर के आधार पर थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 290 / 24 धारा 305(1) / 331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ धुलमिन्दर पुत्र भूरा निवासी ग्राम सीकरी थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर का नाम प्रकाश में आया।



कार्यवाही-

आज दिनांक 11.11.2024 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 290 / 24 धारा 305(1) / 331(4) बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण 1.साजन पुत्र लाखन निवासीगण इनामपुरा थाना मण्डावर जनपद बिजनौर 2.धर्मेन्द्र उर्फ धुलमिन्दर पुत्र भूरा निवासी ग्राम सीकरी थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी किये गये एक जोड़ी पाजेब(सफेद धातु), एक अंगूठी(पीली धातु) व एक लेडिज सूट(लाल रंग) बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

- 1.साजन पुत्र लाखन निवासीगण इनामपुरा थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
- 2.धर्मेन्द्र उर्फ धुलमिन्दर पुत्र भूरा निवासी ग्राम सीकरी थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त साजन उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 290 / 24 धारा 305(1) / 331(4) बीएनएस थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त धर्मेन्द्र उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 290 / 24 धारा 305(1) / 331(4) बीएनएस थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 245 / 24 धारा 398 / 401 भादवि थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर।

3. मु0अ0सं0 246 / 24 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ।
2. आरक्षी 1075 अजीत थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ।
3. आरक्षी 101 सुमित थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ।
4. आरक्षी 1256 विपिन तोमर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट—थाना अफजलगढ

दिनांक 11.11.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 303/24 धारा 115(2)/352/351(3)/126(2)/316(2)/69 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 17.09.2024 को वादिनी ने थाना अफजलगढ पर तहरीर दी कि अभियुक्त गौरव पुत्र गजराम सिंह निवासी ग्राम शेरगढ थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ने वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए तथा वादिनी से बाइक, मोबाइल व नगदी ले ली। वादिनी द्वारा अपनी रूपयों की मांग करने पर गौरव, कपिल, अनिता व गजराम ने वादिनी के साथ मारपीट की। दिनांक 09.08.2024 को अभियुक्त गौरव व उसके भाई कपिल ने वादिनी के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 303/24 धारा 115(2)/352/351(3)/126(2)/316(2)/69 बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही—

आज दिनांक 11.11.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 303/24 धारा 115(2)/352/351(3)/126(2)/316(2)/69 बीएनएस में वांछित अभियुक्त गौरव पुत्र गजराम सिंह निवासी ग्राम शेरगढ थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1. गौरव पुत्र गजराम सिंह निवासी ग्राम शेरगढ थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- 1.उ0नि0 मनोज कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
- 2.आरक्षी 127 अरुण कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 11.11.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 1066/24 धारा 103(1) बी0एन0एस व धारा 4/25 आयुध अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 10/11.11.2024 की रात्रि मे समय करीब 01.30 बजे चंद्रावती पत्नी अक्षय कुमार निवासी मौहल्ला ब्लॉक नंबर 55 काशीराम कॉलोनी बैराज रोड थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली शहर पर सूचना दी गई कि वादिया के ससुर चतर सिंह व पति अक्षय शराब के नशे में झगड़ा कर रहे थे, उसी दौरान वादिया के ससुर चतर सिंह ने वादिया के पति अक्षय को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी जिला अस्पताल मे उपचार के दौरान मृत्यु हो गई ।



कार्यवाही –

सूचना पर थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर आरोपी चतर सिंह को पुलिस हिरासत मे लिया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल (चाकू) बरामद किया गया । पुलिस द्वारा मृतक अक्षय के शव को कब्जे मे लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरान्त पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया है । घटना के संबंध मे प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 1066/24 धारा 103(1) बी0एन0एस व धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम चतर सिंह उपरोक्त पंजीकृत किया गया है । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

चतर सिंह पुत्र फकीरा निवासी काशीराम कॉलोनी बैराज रोड थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

मृतक की शर्ट व घटना में प्रयुक्त चाकू

पुलिस टीम का विवरण –

थाना कोतवाली शहर पुलिस टीम